84

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर केम्प उज्जैन

संभाग उज्जैन म.प्र.

प्र.क्र. /2018/निगरानी निग.-S-469/2018/शाजापुर/भू.रा.

बापूलाल पिता बुद्धराम, आयु 61 वर्ष,
जाति मीणा, निवासी ग्राम दुबड़ी तहसील
कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

-- आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री राजकिशोर सिंह सोलंकी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 24/8/18
अधीक्षक 24.8.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

भूरियाबाई पति चैनसिंह, उम्र 43 वर्ष,
जाति मीणा, निवासी ग्राम जबड़ी, कृषक ग्राम
दुबड़ी तह. कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

-- अनावेदिका

559
24/8/18

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 150/अ-12/17-18 जो कि माननीय राजस्व निरीक्षक मण्डल-एक कालापीपल द्वारा किये गये नपती आदेश दिनांक 8-5-2018 से दुखी होकर यह निगरानी आवेदन श्रीमान जी की सेवा में अंदर अवधि में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र प्रेषित है :-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने एक आवेदन पत्र ग्राम दुबड़ी के सर्वे नंबर 250/2 रकबा 0.982 हेक्टर के संबंध में नपती हेतु प्रस्तुत किया जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा पड़ोसी कृषक को सूचना पत्र दिनांक 1-5-2018 के अनुसार दिनांक 8-5-2018 नपती हेतु जारी किया किनतु निगरानीकर्ता को न तो विधिवत सूचना दी और न ही वह नपती के समय उपस्थित हुआ क्योंकि उसे विधिवत सूचना

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5469/शाजापुर/2018/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजकिशोर सोलंकी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	

Scanned by CamScanner